संख्या-25/2019/506/46-1-19-20(01)/2019

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 20 मई, 2019

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू. 2609.48 लाख को संलग्नक में अंकित मदों में **आहरित करने एवं यथा आवश्यकता निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को उपलब्ध कराने हेतु** निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के साथ आपके निवर्तन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231 /2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(5) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

2- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0303-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2019/506(1)/46-1-19-20(01)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-25/2019/506(2)/46-1-19-20(1)/2019, दिनांक 20 मई 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र.सं. अ-	31-सहायता अनुदान-समान्य (वेतन) के अन्तर्गत मदों का विवरण	स्वीकृत धनराशि
1	वेतन	701.91
2	मॅहगाई भत्ता	957.06
3	अन्य भत्ते	23.41
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	60.00
5	यात्रा भत्ता	22.00
6	पेंशनरी अवकाश अंशदान	34.00
7	पेंशन अंशदान	17.00
8	मानदेय	3.00
9	अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना गन्ना अंशदान	16.00
10	सेवानिवृत्तिक अवकाश नकदीकरण/ग्रेच्यूटी	390.10
11	पारिश्रमिक का भुगतान	35.00
12	पेंशन हेतु प्राविधान	350.00
	योग-	2609.48

(रूपये छब्बीस करोड़ नौ लाख अड़तालिस हजार मात्र)

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है